भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1107

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-एसजीएमबीवाई के अंतर्गत लाभान्वित परिवार</u>

1107. श्री महेन्द्र भट्टः

श्री मदन राठौड़ः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबावाई) के अंतर्गत अब तक कितने परिवारों को लाभ मिला है;

(ख) क्या इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो सब्सिडी की प्रस्तावित संरचना क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत सौर पैनलों की गुणवत्ता और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस योजना के प्रभाव की निगरानी हेतु कौन-सा डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाया गया है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के शुभारंभ से, दिनांक 19.07.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 15,76,860 परिवारों को रूफटॉप सौर स्थापना से लाभ मिला है।

(ख) यह योजना मांग आधारित है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम से ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, वे योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) वर्तमान में, पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के अंतर्गत सब्सिडी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना हेतु उपयोग किए जा रहे सौर उपकरणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने सौर मॉड्यूलों, इनवर्टरों और संयंत्र के अन्य उपकरणों के लिए विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वेंडरों को उनके द्वारा स्थापित आरटीएस संयंत्र का, स्थापना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, अनिवार्य रूप से रखरखाव करना होगा।

(ङ) आवेदन से लेकर लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी के वितरण तक की पूरी प्रक्रिया योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन है, जिसमें हर चरण पर नज़र रखी जा सकती है और निगरानी की जा सकती है।
